

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 67/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एलआईसी हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- सी-98, उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

श्रीमती मनु शर्मा पत्नी स्व. श्री सुनील शर्मा
(स्व. श्री सुनील शर्मा के कानूनी वारिस)

पता :- प्लॉट नम्बर 1/790, मालवीय नगर, जयपुर।

एवं प्लॉट नम्बर टी-688, छठी मंजिल, वृंदा गार्डन, फेज-1, खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर।

एवं ऑफिस नम्बर 401-402, चौथी मंजिल, ओके प्लस टॉवर, कल्याण ज्वैलर्स के पास, गवर्मेन्ट हॉस्टल,
अजमेर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- रुखसाना अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.06.2024

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुर्गतान हेतु जमानत प्रतिमूति के रूप में अप्रार्थी श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा एवं श्रीमती मनु शर्मा पत्नी श्री सुनील शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर टी-688, छठी मंजिल, वृंदा गार्डन, फेज-1, खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 1247.22 वर्गफीट को बंधक रखकर दिनांक 12.06.2017 को राशि 57,20,000/-रूपये एवं दिनांक 26.07.2018 को राशि 06,90,000/-रूपये कुल राशि 64,10,000/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का नौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 64,10,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिमूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 71,40,761.13/- रूपये की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा एवं श्रीमती मनु शर्मा पत्नी श्री सुनील शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लेट नम्बर टी-688, छठी मंजिल, वृंदा गार्डन, फेज-1, खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 1247.22 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर



आदेश आज दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर